भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2751
(02 अगस्तभ्र2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में गलत आकलन

2751. श्री अशोक कुमार यादवः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई पात्र लोग गलत आकलन के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के लाभों से वंचित रह गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त लाभ को सभी पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त कार्य कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ख): पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी) 2011 के अंतर्गत निर्धारित आवास वंचन मापदण्डों और बहिर्वेशन मानदण्डों और संबंधित ग्राम सभा द्वारा विधिवत सत्यापन तथा अपीलीय प्रक्रिया के पूरे होने के आधार पर की जाती है। एसईसीसी डाटाबेस के माध्यम से उपलब्ध पात्र लाभार्थियों की संख्या वर्तमान में 2.15 करोड़ (अनुमानित) है।

सरकार ने एसईसीसी 2011 के अंतर्गत छूट जाने का दावा करने वाले लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जनवरी 2018 से मार्च 2019 के दौरान आवास+ सर्वेक्षण कराया और इसलिए संभावित लाभार्थियों की अतिरिक्त सूची तैयार की। योजना के अंतर्गत स्वीकृत 2.95 करोड़ आवास इकाईयों और लाभार्थियों को स्वीकृत 80 लाख आवासों (2.95 करोड़- 2.15 करोड़) के अंतर को कम करने के लिए आवास+ डाटा का उपयोग किया जा रहा है और आज की तारीख तक 63.68 लाख मकानों का लक्ष्य आवास+ से पात्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही आवंटित किया जा चुका है। राज्यों को आवंटित 2.70 करोड़ आवासों के कुल लक्ष्यों में से 2.44 करोड़ को स्वीकृति दे दी गई है और दिनांक 28.07.2022 की स्थिति के अनुसार 1.90 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।

****